न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 13/25

सत्यवृत पुत्र रामदयाल जाति वैश्य निवासी खेडली जिला अलवर राजस्थान

–– अपीलान्ट/प्रार्थी

बनाम

ग्राम पंचायत जसपुरा मौरोली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जसपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान

–– रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थी

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.01.2008
नामान्तकरण संख्या 323 ग्राम पंचायत जसपुरा
मौरोली पंचायत समिति बयाना वाके ग्राम खाता
संख्या 329 किता 39 रकवा 18.23 हैक्टे

निर्णय दिनांक:– 17/4/26

उपस्थिति:–श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा एड0

अपील अपीलान्ट द्वारा विरूद्ध आदेश दिनांक 20.01.2008 नामान्तकरण संख्या 323 ग्राम पंचायत जसपुरा मौरोली पंचायत समिति बयाना वाके ग्राम खाता संख्या 329 किता 39 रकवा 18.23 हैक्टे पेश कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट सत्यवृत पुत्र रामदयाल जाति वैश्य निवासी खेडली जिला अलवर के पिता रामदयाल का सजरा पेश किया, अपीलान्ट व उसके भाई योगेश व कृष्ण कुमार की पैत्रिक सम्पत्ति पैत्रिक ही है और पैत्रिक सम्पत्ति पर पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट व अपीलान्ट के भाई योगेश और कृष्ण कुमार वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार बराबर हिस्सा है ग्राम पंचायत जसपुरा मौरोली द्वारा मृतक रामदयाल के वारिसों को नामान्तकरण दर्ज न कराना गैर कानूनी है और विधि विरूद्ध है इस प्रकार नामान्तकरण के विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है, नामान्तकरण संख्या 323 तारीख 20.1.2008 ग्राम पंचायत जसपुरा मौरोली तहसील बयाना रूपेदाद मिसिल सर्वथा अवैध, गलत और कानून के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने के योग्य है, ग्राम पंचायत जसपुरा मौरोली ने नामान्तकरण दर्ज किये जाने से पूर्व कोई जांच नहीं की और मृतक रामदयाल के विधिक वारिसों को नामान्तकरण दर्ज न कर भारी कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है, इस कारण ग्राम पंचायत जसपुरा मौरोली का आदेश अपास्त होने योग्य है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम व प्रावधानों के तहत मृतक रामदयाल के विधिक वारिस मद संख्या–1 के सजरा में दर्शाये गये है जो कि प्रथम क्षेणों के विधिक वारिस है, इसलिए उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त होने योग्य है, नामान्तकरण संख्या 323 तारीख 20.01.2008 ग्राम पंचायत जसपुरा मौरोली की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 05.07.2025 को हुई जो तहसील कार्यालय बयाना में हुई इसलिए अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है।

अन्त में अपीलान्ट द्वारा अपील, अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 323 दिनांक 20.01.2008 ग्राम पंचायत जसपुरा मौरोली को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट बाद तलबी उपस्थित नहीं।

हमने एड0 अपीलान्ट को एकपक्षीय सुना। एड0 अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात नामान्तकरण संख्या 323 निर्णय दिनांक .0.01.08, जमाबन्दी सम्वत 2073—76 ग्राम जसपुरा मौरोली एवं अन्य का अवलोकन किया गया। अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि मृतक रामदयाल के वारिसों की समुचित जांच कर, सभी प्रभावित पक्षकारों/व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देते हुये, पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद—तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक....17/4/26....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना